जिला जनसुनवाई के बाद जिला श्रोता व्यक्ति द्वारा समेकित प्रतिवेदनः

जिला का नामः नवादा तिथिः 26.02.2015

पैनल के सदस्य राज्य श्रोता व्यक्ति उपस्थित हुए-

1.राज्य श्रोता- डॉ0 शरद कुमारी,

2.जिला पदाधिकारी नवाद, उपविकास आयुक्त नवादा, निदेशक डी0 आर0 डी0 ए0 नवादा, संबंधित प्रखण्ड के पदाधिकारी

क्र. स०	**मुद्धे की खोज**	**साक्ष्य**	**ग्राम सभा का अनुमोदन**	**संबंधीत द्वारा की गई सुधारात्मक कारवाई**	**पैनल का निर्णय**
1	मजदुरों द्वारा जोब कार्ड की मांग की गई परन्तु उन्हें जॉब कार्ड नहीं दिया गया।	मजदुरों का लिखित व्यान	हाँ	एक सप्ताह के अन्दर जॉब कार्ड निर्गत करें व भविष्य में सुधार की चेतावनी	एक सप्ताह के अन्दर जॉब कार्ड नहीं निर्गत करने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। मौखिक आदेश दिया गया।
2	डाक विभाग द्वारा मजदुरी भुगतान में गडबडी(वेसे मजदुर जिन्होंने काम नहीं किये उन मजदुरों के नाम पर राशि निकाली गई) **ग्रामपंचायत** कादिरगंज योजना सं0-06 2013-14, मजदुरों की संख्या-08, योजना सं0-4, 2013.14, मजदुरों की संख्या-04 **ग्रामपंचायत** मरूई योजना सं0-25 2013-14, मजदुरों की संख्या-12, योजना सं0-20, 2013-14, मजदुरों की संख्या-05 योजना सं0-18 2013-14, मजदुरों की संख्या-02	मास्टर रॉल के आधार पर लिखित व्यान एवं विडियो रिकॉडिंग	हाँ	डाकघर द्वारा जांच के बाद कारवाई कि जाय। इसके संबंध में स्पस्टीकरण की मांग	डाकघर की जांच में सत्य पायेजाने पर राशि वापसी का मौखिक आदेश दिया गया।
3	सामाग्री पर राशि निकाली गई परन्तु मजदुरी का भुगतान नहीं हुआ। **ग्रामपंचायत**- कादिरगंज योजना सं0-12, 2013-14, ट्रेक्टर भाड़ा हेतु-65,000 सामाग्री हेतु- 201240 राशि निकाल लिये गये परन्तु मजदुरों की मजदुरी भुगतान नहीं हुआ। योजना सं0-18, 2013-14, सामाग्री पर 250000 राशि निकाली गई परन्तु मजदुरों का मजदुरी भुगतान नहीं किया गया।	योजना संबंधी संचीका एवं मास्टर रॉल में उपस्थित नाम के मजदूरों से पुछ-ताछ एवं लिखित व्यान।	हाँ	मौखिक रूप से स्पष्टीकरण के लिए कहा गया। शिघ्रताशिघ्र मजदुरी भुगतान के लिए कहा गया।	मौखिक आदेश दिया गया।

	योजना सं0-04, 2014-15, सामाग्री पर 69,0000 राशि निकाली गई परन्तु मजदुरों का मजदुरी भुगतान नहीं किया गया।				
4	पारदर्शिता के लिए कार्य स्थल पर बोर्ड नहीं पाया गया। **ग्रामपंचायत**- मरूई योजना सं0-18 2013-14, योजना सं0-19 2013-14,योजना सं0-20 2013-14,योजना सं0-21 2013-14 योजना सं0-24 2013-14 योजना सं0-25 2013-14 योजना सं0-26 2013-14 योजना सं0-02 2014-15	अभिलेख संचिका, मापी पुस्तीका, में इसकी कोई चर्चा नहीं ग्रामीणों से पुछ-ताछ	हाँ	मौखिक रूप से स्पष्टीकरण की मांग की गई एवं शीध्र कार्य स्थल पर बोर्ड लगाने का आदेश दिया गया। एक सप्ताह के अन्दर वोर्ड नहीं लगावाने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।	मौखिक आदेश दिया गया।
5	कार्य स्थल पर बोर्ड नहीं पाया गया। परन्तु उसकी राशि निकाल ली गई। **ग्रमापंचायत खड़सारी-योजना** सं0-02 2013-14, -योजना सं0-04 2013-14, 5000 रूपय की राशि निकाली गई है। परन्तु वॉर्ड नहीं लगाया गया है।	संचिका अभिलेख में कोइ बील, भाउचर नहीं एवं मापी पुस्तिका में कोई चर्चा नहीं परन्तु योजना पंजी में चेक एवं राशि का उल्लेख है।	हाँ	मौखिक रूप से स्पष्टीकरण की मांग की गई है एवं राशि वापसी का आदेश मौखिक रूप से दिया गया है।	मौखिक आदेश दिया गया। एक सप्ताह के अन्दर राशि वापसी नहीं करने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
6	जॉब कार्ड धारी द्वारा मांग की गई पर काम नहीं मिला। सभी पाँच पंचायतों में जॉब कार्डधारीयों द्वारा काम की मांग की गई परन्तु उन्हें काम उपल्ब्ध नहीं कराया गया।	जॉब कार्ड पंजी एवं मजदूरों का लिखित व्यान	हाँ	मौखिक रूप से स्पष्टीकरण की मांग की गई है एवं भविष्य में पुनः ऐसी गलती नहीं दुहराने को कहा गया है।	मौखिक आदेश दिया गया।
7	शौचालय पूर्ण करने वाले लाभुकों को पी0 एच. डी0 से 4600 की राशि दिये गये परन्तु मनरेगा की राशि 4500 रूपये नहीं दिये गये।	शौचालय निर्माण संबंधि पंजी एवं मजदूरों का लिखित व्यान	हाँ	मौखिक रूप से कहा गया कि आबंटण राशि आने पर इसका भूगतान किया जायेगा।	मौखिक आदेश दिया गया।
8	**ग्रामपंचायत नरहट** में-योजना सं0-05, 2013-14, -योजना सं0-06, 2013-14 दोनों योजनाओं में 35 मजदुरों ने यह शिकायत किया कि हमलोगों ने काम	योजना संबंधी संचीका, मास्टरोल एवं मजदुरों का लिखित व्यान	हां	मौखिक रूप से स्पष्टीकरण की मांग की गई है एवं आवंटण आने पर शिघ्र भुगतान करने का आदेश	मौखिक आदेश दिया गया।

	किया है। परन्तु अभीतक मजदुरी का भूगतान नहीं किया गया है।			दिया गया है।	
9	**ग्रामपंचायत खड़सारी** में शौचालय निर्माण संबंधी लाभूकों से 1400 रूपय चार लाभूक से वार्ड सदस्य एवं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा घुस के रूप में वसुला गया।	लाभूकों के द्वारा लिखित व्यान एवं विडियो रिकॉडिंक	हां	एक सप्ताह के अन्दर राशि वापस करें।	एक सप्ताह के अन्दर राशि वापस वापस नहीं करने पर कानूनी कार्यवाही कि जायेगी।
10	दस्ताबेज सम्बंधी गड़बड़ी, बील भाउचर, कार्यस्थल का फोटो एवं कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र भूगतान सूची नहीं पाये गए। **कादिरगंज**- भूगतान सूची 5 योजनाओं में नहीं। बील वाउचर 76 योजनाओं में नहीं, कार्यपूर्ण प्रमाण पत्र किसी भी योजनाओं में नहीं। कार्य का फोटो 88 योजनाओं में नहीं। **नरहट**- भूगतान सूची 6 योजनाओं में नहीं। बील वाउचर 68 योजनाओं में नहीं, कार्यपूर्ण प्रमाण पत्र किसी भी योजनाओं में नहीं। कार्य का फोटो 76 योजनाओं में नहीं। **खडसारी**- भूगतान सूची 6 योजनाओं में नहीं। बील वाउचर 27 योजनाओं में नहीं, कार्यपूर्ण प्रमाण पत्र किसी भी योजनाओं में नहीं। कार्य का फोटो 05 योजनाओं में नहीं। **साहपुर**- बील वाउचर 31 योजनाओं में नहीं, कार्यपूर्ण प्रमाण पत्र किसी भी योजनाओं में नहीं। कार्य का फोटो 30 योजनाओं में नहीं। **मरूई**- बील वाउचर 54 योजनाओं में नहीं, कार्यपूर्ण प्रमाण पत्र किसी भी योजनाओं में नहीं। कार्य का	योजना संबंधी प्राप्त संचिका	हां	मौखिक रूप से स्पष्टीकरण की मांग की गई है एवं भविष्य में पुनः ऐसी गलती नहीं दुहराने को कहा गया है।	मौखिक आदेश दिया गया।

	फोटो 39 योजनाओं में नहीं। उक्त पांचों पंचायतों में काम मांग पुस्तिका नहीं पाये गए।				

दिनांक 26.02.2015 को जिला जन सुनवाई जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में राज्य श्रोत व्यक्ति डॉ0 शरद कुमारी की उपस्थिति में की गई। मौखिक आदेश दिये गये हैं। मेरे द्वारा जिला से लिखित आदेश की प्रति मांग की गई है, परन्तु अभी तक अप्राप्त है।

पंकज कु0 मिश्रा

जिला संसाधन व्यक्ति, नवादा

सामाजिक आंकेक्षण मनरेगा